भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1318
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

आधुनिक कृषि उपकरण एवं प्रौद्योगिकी
1318. श्री रमाशंकर राजभरः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा देश में किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों एवं प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या इन सुविधाओं का लाभ लघु एवं सीमांत किसानों को मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-आधारित उद्योगों एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा किन-किन जिलों में योजनाएं लागू की गई हैं और इन योजनाओं से किसानों को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए हैं;
(घ) सूखा, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों को मुआवजा और राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की स्थिति क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): भारत सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिक और स्मार्ट कृषि तकनीकों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों को समर्थन और सुविधा प्रदान करती है। कृषि यंत्रीकरयण उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत किसान ड्रोन सहित आधुनिक मशीनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपीए) कार्यक्रम के तहत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), ब्लॉकचेन आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके डिजिटल कृषि परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को वित्त पोषण दिया जाता है। वित्तीय सहायता प्रदान करके और इनक्यूबेशन इकोसिस्टम का पोषण करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई-रफ्तार) के तहत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" नामक एक घटक शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, स्टार्ट-अप को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्यों को उनके प्रस्तावों के आधार पर फंड जारी किए जाते हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) की केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। पीडीएमसी का फोकस सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई के लिए स्रोत निर्माण के पूरक के रूप में अन्य हस्तक्षेप (ओआई) के रूप में सूक्ष्म स्तर पर जल भंडारण, जल संरक्षण/प्रबंधन गतिविधियों का भी समर्थन करता है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान, पीडीएमसी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से पीडीएमसी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई से पानी की बचत के साथ-साथ फर्टिगेशन, श्रम व्यय, अन्य इनपुट लागतों के माध्यम से उर्वरक के उपयोग को कम करने और किसानों की समग्र आय बढ़ाने में मदद मिलती है। सरकार पीडीएमसी

के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सहायता लाभार्थी के लिए 5 हेक्टेयर तक सीमित है।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रैला योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)", केंद्रीय क्षेत्र "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)" और केंद्र प्रायोजित "पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण (पीएमएफएमई)" योजना को कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय देश भर में ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को सहायता-अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। परियोजनाओं का चयन समय-समय पर जारी रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर सहायता के लिए किया जाता है। पीएमकेएसवाई योजना के तहत, सरकार ने 31,858.53 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 1646 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के तहत 9,110.08 करोड़ रुपये की अनुमोदित सहायता-अनुदान/सब्सिडी और 22,748.45 करोड़ रुपये का निजी निवेश शामिल है। 1646 परियोजनाओं में से 1087 परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं, जिससे 33,17,538 किसान लाभान्वित हुए हैं। पीएमएफएमई योजना के तहत, अब तक कुल 1,16,148 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए मंजूरी दी गई है और देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1042.06 करोड़ रुपये की बीज पूंजी के लिए 3,13,218 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) की विभिन्न श्रेणियों के तहत 171 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और अब तक कुल 1084.01 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई है।

(घ): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास है। राज्य सरकारें पहले से ही अपने पास रखे गए राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से सूखे सहित अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, सूखा, ओलावृष्टि, कीट हमले और शीत लहर/ठंड जैसी गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, न कि मुआवजे के लिए।

(ड.): किसानों के जीवन में सुधार लाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को 2013-14 के बजट अनुमान 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 के बजट अनुमान 1,22,528.77 करोड़ रुपये कर दिया है। यह बढ़ा हुआ बजटीय प्रावधान निम्नलिखित की दिशा में सरकार के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है:

i. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता
ii. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
iii. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण
iv. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना
v. देश में जैविक/प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना
vi. प्रति बूंद अधिक फसल
vii. सूक्ष्म सिंचाई कोष
viii. नमो ड्रोन दीदी
ix. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना
x. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
xi. कृषि यंत्रीकरण
xii. किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड प्रदान करना
xiii. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) विस्तार प्लेटफार्म की स्थापना

xiv. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम का शुभारंभ
xv. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
xvi. कृषि उपज लॉजिस्टिक में सुधार
xvii. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) - क्लस्टर विकास कार्यक्रम
xviii. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का निर्माण
xix. कृषि एवं संबद्ध कृषि-वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि

भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों से तात्पर्य उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करके किसानों का कल्याण करना है।

सरकार की पहलों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि हुई है। 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है, जिनकी आय दो गुना से अधिक बढ़ गई है। एनएसएसओ के घरेलू उपभोग व्यय (2022-23) पर सर्वेक्षण में एक स्टेटमेंट का उल्लेख किया गया है, जिसमें अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना को इस प्रकार दर्शाया गया है:

क्षेत्र	विभिन्न अवधि में औसत एमपीसीई (रु.)	
	2011-12 एनएसएस (68वां राउंड)	2022-2023
शहरी	1,430	3,773
ग्रामीण	2,630	6,459
नोट: वर्ष 2011-12 और 2022-23 के लिए अनुमान संशोधित एमआरपी (एमएमआरपी) पर आधारित हैं।		

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना है। एनएफएसएनएम के तहत, राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को उन्नत पद्धति पैकेज पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणाली पर प्रदर्शन, अधिक उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी)/हाईब्रिड के बीजों का वितरण, उन्नत कृषि मशीनरी/संसाधन संरक्षण मशीनरी/उपकरण, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, पौध संरक्षण उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारक, प्रसंस्करण और कटाई के बाद के उपकरण, किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को विषय विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों की देखरेख में प्रौद्योगिकी बैक-स्टॉपिंग और किसान को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

****